फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **मै0महावीरा इण्डस्ट्रीज (बनाम) राज0 राज्य औधोगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि0**

किस्म मुकदमा **माध्यस्था प्रार्थना पत्र** **नम्बर 15/34/2019**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.19	आज यह प्रार्थना पत्र हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुआ। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 एवं 13 आरबीट्रेशन एवं कन्सीलेशन एक्ट 1996 के तहत पेश किया गया। प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं एवं लिखित बहस को दौहराते हुए निवेदन किया कि रीको के द्वारा प्रार्थी से समय–समय पर रिटेन्शन चार्जेज की राशि निर्माण एवं उत्पादन अवधि बढाए जाने के संबंध में मांगी जा रही है एवं प्राप्त की गई। प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड पर हाईटेंशन लाईन, विघुत पोल लगे हुए है, जिनको हटाने की जिम्मेदारी रीको की है। हाईटेंशन लाईन, विघुत पोल के बने रहने के कारण आवंटित भूखण्ड पर निर्माण किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। हाईटेंशन लाईन, विघुत पोल नहीं हटाये जाने के कारण प्रार्थी अपने भूखण्ड का उपयोग करने से वंचित हो रहा है। प्रार्थी के द्वारा रीको को लगातार अपनी जायज शिकायत लिखित, रजिस्टर्ड के माध्यम से भी जानकारी में दी जाती रही है। लेकिन रीको व प्रार्थी के मध्य विवाद को रीको द्वारा नही निपटाया नहीं। लीज डीड की शर्त संख्या 3 एच के अनुसार विवाद को निपटाने के लिए एक पंच नियुक्त किये जाने का प्रावधान है और एकल पंच के रूप में रीको द्वारा अपनी लीज डीड में एवं रीको डिस्पोजल आफॅ लैण्ड रूल्स 1979 में भी दर्ज किया हुआ है जिस आधार पर प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन एक्ट के प्रावधानुसार सुने जाने एवं निर्णित किये जाने का एक मात्र क्षेत्राधिकारी श्रीमान् को है, और प्रस्तुत किया गया है। रीको द्वारा आज दिनांक तक प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है। इस कारण प्रार्थी ईकाई द्वारा धारा 12 एवं 13 आरबीट्रेशन एवं कन्सीलेशन एक्ट 1996 मध्यस्था हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। अपने कथन की पुष्टी में माननीय उच्चतम न्यायालय का रिपोर्टेड सिद्वान्त रीको बनाम डायमण्ड एण्ड जैम डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 सिविल अपील संख्या 7252–7253/2003 सपठित सिविल अपील संख्या 8222–8223/2003 में दिनांक 12.12.2013 को पृष्ठ संख्या 13 (3एच) व पृष्ठ संख्या 32 पर पैरा संख्या 31 व 32 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर एस0बी0 सिविल रिट पिटिशन संख्या 4703/16,4704/16, 4705/16, 4706/16, 4707/16, 4708/16, 4709/16, 4710/16, 4711/16, एवं 4712/16 में दिनांक 02.5.17 के दृष्टान पेश किए। हमनें प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ईकाई का मुख्य विवाद आवंटित भूखण्ड पर से हाईटेंशन लाईन, विघुत पोल लगे हुए है, को जिनको हटाने बाबत है। जिसकी जिम्मेदारी रीको की है, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्ध नीमराना द्वारा प्रकरण का रीको द्वारा नियत अवधि में निस्तारण नहीं किये जाने प्रार्थी ईकाई चैयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर रीको उद्योग भवन राजस्थान जयपुर के प्रकरण को निस्तारण हेतु जाना चाहिए था–प्रार्थी ईकाई द्वारा ऐसा ना कर सीधे मध्यस्था हेतु प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु पेश कर दिया।	

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

प्रार्थी ईकाई द्वारा मेरे समक्ष आलोच्य प्रकरण में उठाए गए बिन्दू तकनीकी प्रकृति के है, जो रीको डिस्पोजल लैण्ड रूल्स 1979 एवं उसकी अनुपालना में बनाये गये नियमों की क्रियान्विति से संबंधित है। विवेचन निर्णय करने के लिए तकनीकी परीक्षण/सलाह आवश्यक है। लीज डीड की शर्त (3एच) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उल्लेखित है। आलोच्य प्रकरण की तकनीकी प्रकृति होने से रीको के पदाधिकारी ही मध्यस्थता करने लिये उपयुक्त है। चूँकि प्रार्थी ईकाई का परिवाद सिविल नेचर का होने के कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है तथा ना ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय को निर्णय में ऐसे कोई आदेश प्रदत्त नहीं किये है जिससे यह न्यायालय इस मामले में कोई हस्तक्षेप करें। चूँकि यह विवाद प्रार्थी ईकाई एवं रीको का आपसी विवाद है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना न्यायाचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी ईकाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 एवं 13 आरबीट्रेशन एवं कन्सीलेशन एक्ट 1996 खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हों।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)